न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या – 90/2020

1. बालूराम पुत्रगण श्री सहीराम सुथार निवासीयान भुरानपुरा तहसील
2. धर्मपाल } टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मुरारी } पुत्रगण श्री ओमप्रकाशसुथार निवासीयान भुरानपुरा तहसील
4. मांगीलालटिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री मल्लूराम } जाति सुथार निवासीयान भुरानपुरा तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
2. तिलोकचन्द पुत्र श्री सुरजाराम मृतक

2/1 श्रीमति विमला पत्नी तिलोकचन्द सुथार निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2/2 श्रीति कमला पत्नी श्री भूपेश पुत्री श्री तिलोकचन्द जाति सुथार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

2/3 श्रीमति सोनू पत्नी श्री कपिल पुत्री श्री तिलोकचन्द जाति सुथार निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

3. अनिल कुमार पुत्रगण श्री तिलोकचन्द सुथार निवासीयान भुरानपुरा तहसील
4. परमानन्द टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5. श्रीमती गुड्डीदेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश सुथार निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

बनवारीलाल पुत्र श्री निराणाराम जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

7. श्रीराम } पुत्रगण श्री भूराराम जाट निवासीयान चाहुवाली
8. हंसराज } तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. मदनलाल उर्फ मनीराम }
10. पतराम पुत्र श्योलाल सुथार निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

11. वेदप्रकाश पुत्र स्व.श्री लालचन्द सुथार निवासी वार्ड नम्बर–14, भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

12. भूप सिंह
13. कृष्ण
14. राधेश्याम

} पुत्रगण स्व.श्री रामलाल सुथार निवासीयान भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

15. मुखराम पुत्र स्व.श्री रामजीलाल सुथार निवासी चक 14 बी.पी.एम. पोस्ट ऑफिस 4 सवाई चक, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

16. मदनलाल पुत्र स्व.श्री रामजीलाल सुथार निवासी चक 1 आर.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

17. श्रीमती बिमला पुत्री श्री रामजीलाल पत्नी श्री जीतराम सुथार निवासी नाथांवाली थेड़ी पोस्ट ऑफिस हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

18. श्रीमती किरण पुत्री श्री रामजीलाल पत्नी श्री मेहरचन्द सुथार निवासी नाथांवाली थेड़ी पोस्ट ऑफिस हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

19. श्रीमती पुष्पा पुत्री श्री रामजीलाल पत्नी श्री रामचन्द सुथार निवासी सरदारपुरा पोस्ट ऑफिस कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

20. कृष्णलाल पुत्र रावता –मृतक

20/1 महेन्द्र कुमार पुत्री श्री कृष्ण लाल जाति सुथार निवासी वार्ड नं0 14 भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

20/2 श्रीमती सरस्वती पत्नी स्व0 श्री कृष्ण लाल जाति सुथार निवासी वार्ड नं0 14 भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

2/3श्रीमती समेस्ता पत्नी श्री मदनलाल पुत्री स्व0 श्री कृष्ण लाल जाति सुथारन निवासी वार्ड नं0 3 काशी का बास, एलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

21. रामेश्वर पुत्र श्री रावता सुथार निवासीयान भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

22. ग्रामोत्थान विधापीठ, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

23. श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

24. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2007
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी
अनवान ''ओमप्रकाश आदि बनाम बालूराम आदि''प्र. सं. 105/2006

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः–
श्री छगनलाल सिडाना अधिवक्ता अपीलांट
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, 3, 4, 6, 12, 13, 16
श्री राजेश दीपरामय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5

निर्णय दिनांक 24.07.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी "ओमप्रकाश आदि बनाम बालूराम आदि" वाद संख्या 105/2006 प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी वाकै चक नम्बर 3 बी.आर.एन. जमाबंदी सम्वत 2059 खाता संख्या 30 में वादी संख्या–1 के नाम 212.75 हिस्सा वादी संख्या–2 के नाम 185.5 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या 21 में वादी संख्या–1 के नाम 1/10 हिस्सा व वादी संख्या–2 के नाम 1/5 हिस्सा, चक केहरवाला बारानी पत्थर नम्बर 227/373 किला नम्बर 2 ता 5/.0999 हैक्टेयर में वादी संख्या–1 का 1/10 हिस्सा व वादी संख्या–2 का 1/5 हिस्सा दर्ज कागजात माल है। वादीगण उपरोक्त खातों में हिस्सा मुश्तर्का खाता में प्रतिवादीगण के साथ दर्ज है मगर उपरोक्त आराजी का पक्षकारान के मध्य अरसा दराज से वाहमी विभाजन हो चुका है तथा वादीगण अपने हक व हिस्सा व कब्जा की आराजी अलग अलग काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। मुताबिक बाहमी विभाजन वादीगण का कब्जा काश्त है। वादी संख्या–1 ओमप्रकाश के हक हिस्सा व कब्जा में चक नम्बर 3 बी.आर.एन. पत्थर नम्बर 215/382 (15) किला नम्बर 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 18, 19/2.277, किला नम्बर 23/.228, 22/.127, पत्थर नम्बर 214/382 (16) किला नम्बर 19, 22/.506 कुल किता 13 रकबा 3.138 हैक्टेयर व चक नम्बर केहरवाला बारानी पत्थर नम्बर 227/373 किला नम्बर 2/.040, 3/.060 है। वादी संख्या–2 के हक, हिस्सा व कब्जा में चक 3 बी.आर.एन. पत्थर नम्बर 215/382 (15) किला नम्बर 14, 15, 16, 17/1.012, 24, 25/.456, पत्थर नम्बर 216/382 (14) किला नम्बर 13, 18, 19, 20/1.012, किला नम्बर 21, 22, 23/.684, पत्थर नम्बर 216/383 (21) किला नम्बर 1, 10/.101 कुल 15 रकबा 3.265 हैक्टेयर, चक नम्बर केहरवाला बारानी पत्थर नम्बर 227/373 किला नम्बर 2/.200 है। वादीगण उपरोक्तानुसार अपने हक हिस्सा पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं और इसी तरह रकमराज आदि जमा खजानाराज करवाते चले आ रहे हैं। वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ खाता मुश्तर्का है जिस कारण वादीगण का प्रतिवादीगण से रकमराज, आबयाना, पानी की बारी आदि को लेकर तनाजा रहता है तथा वादीगण अपना खाता मुश्तर्का नहीं रखना चाहते हैं। अतः वादीगण अपनी हक हिस्सा की आराजी जो वाद पत्र की चरण संख्या–4 में दर्ज है, का खाता प्रतिवादीगण से अलग तकसीम कर रकमराज अलग कायम करवाने के दावेदार हैं। वादीगण का हिस्सा पी.एन.बी. शाखा रामपुरा के मुर्तहीन है इसलिये बैंक को पक्षकार बनाया गया है। वादीगण को बैंक से कोई रिलीफ हासिल नहीं है। बैंक औपचारिक पक्षकार है ताकि दावे में कोई कानूनी नुक्स ना रहे। वादीगण की आराजी पर बैंक रहन यथावत रहेगा। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वे वादीगण की उपरोक्त आराजी का खाता अलग अलग करवा देंवे तथा रकमराज अलग अलग कायम करवा लेंवे मगर वे टालमटोल करते रहे व कल दिनांक 27.08.06 को वादीगण का निवेदन मानने से कतई इन्कार हो गये। यही बिनाय मुखास्मत दावा है। दावा खाता विभाजन का है इसलिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आवश्यक पक्षकार होने के कारण फरीक मुकदमा बनाया गया है। दावा खाता तकसीम का है जो एक रूपये की कोर्टफीस पर तहरीर है अन्दर मियाद है व इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में है। वाद पत्र के जरिये इस आशय की डिग्री चाही कि वादीगण को आराजी जिसका विवरण वाद पत्र की चरण संख्या–4 में दर्ज है, का खाता प्रतिवादीगण से अलग अलग कर रकमराज अलग अलग कायम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2007 पारित की। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2007 के विरूद्व अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की व उक्त अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलांट ने मिमो ऑफ अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपलाण्ट सं0 3 की जन्म तिथि दिनांक 20.08.1990 है। रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की आयु 16 वर्ष 1 माह 16 दिन थी। अपीलांट सं0 3 व रेस्पोडेण्ट सं0 3 दावा दायरी के समय नाबालिग थे। अपीलाण्ट सं0 3 पर तामील विधि सम्मत नहीं है तथा तामील कुनिन्दा कभी भी अपीलाण्ट के पास नहीं आया। वादपत्र के सम्मन की पुस्त पर तामील कुनिन्दा का नाम गणेशाराम अंकित किया है परन्तु किस दिनांक को आया व किन किन गवाहान के समक्ष सम्मन लेने से इंकार किया इसका कोई अंकन उस पर दर्ज नहीं है। तामील कुनिन्दा ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 एवं मदनलाल नामक व्यक्ति से दुर्भि संधी कर मिथ्या तामील करवाई है। वादपत्र के साथ सम्मन की कोई प्रतियां नहीं भेजी गई। कृषि भूमि के विभाजन के वाद पत्र में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा बनाये गये नियम की पालना अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं की गई है। दफा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2007 एकपक्षीय है। दिनांक 07.07.2020 को अपीलार्थीगण पटवारी हल्का के पास गये व पटवारी हल्का से पश्नगत भूमि की जमाबन्दी की मांग की तो पटवारी हल्का ने बताया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने कृषिभूमि का विभाजन करवाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा ली है जिसकी नकल ऑन लाईन से प्राप्त होगी, तब अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता नियुक्त कर पत्र.ावली की पड़ताल की तथा दिनांक 10.07.2003 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त की तब अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान हुआ उससे पहले अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान नहीं था। दफा 5 मियाद अधिनियम अपीलाण्ट स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जावे तथा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त की जावे। अपनी बहस के समर्थन में अपीलाण्ट ने आरआरटी 2016 (2) पेज 1235, आरआरटी 2014 –15 सप्लीमेंटरी पेज 414 पेश किये।

4. रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट द्वारा पूर्व में अर्सादराज से घराघरू बंटवारा हो चुका था तथा बंटवारा मुताबिक काबिज हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट ने पूर्व में घरू विभाजन होने के आधार पर अनुतोष चाहा है तथा घरू विभाजन के कथन अखंडिनिय रहे है।। अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेण्ट पर विधि सम्मत तामील हुई है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2007 की है जिसका ज्ञान अपीलाण्ट को शुरू से ही रहा है। राजस्व अभिलेख में उक्त निर्णय एवं डिक्री के अनुसर में नामान्तरण संख्या 222 दिनांक 07.11.2007 को ही हो गया था तथा दर्ज होने के बाद अपीलाण्ट व अन्य खातेदारों ने ऋण सुविधा प्राप्त की है। अपनी कृषिभूमि पर दिनांक 03.04.2009 को ऋण लिया है, जिसका अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसके बाद 26.12.2011 को भी रहननामा का नामान्तरण दर्ज करवाया है। तत्पश्चात् अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी भूमि को दिनांक 26.01.2014 को रहन मुक्त करवाया है तत्पश्चात् पुनः अपीलाण्ट संख्या 2 ने पुनः ऋण प्राप्त किया व 23.04.2014 को इसकी प्रविष्टि हुई इसके बाद अपीलाण्ट समय समय पर ऋण सुविधा लेकर व ऋण मुक्त

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करवाते रहे हैं। रेस्पोडेण्ट ने इस संबंध में प्रस्तुत नामान्तरण की प्रतियां की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया। अपीलाण्ट संख्या 2 व 4 ने उपर्युक्त खाता विभाजन को स्वीकार करते हुए रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

5. रेस्पोडेण्ट संख्या 5 की और से बहस करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध होने के कारण अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. दफ्ा 5 मियाद अधिनिमय का निर्णय सर्वप्रथम किया जाना उचित है। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में दिनांक 07.07.2020 को पटवारी हल्का के पास जाने व संयुक्त खाता की कृषि भूमि की मांग करने के कथन किये हैं जबकि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण से यह बखूबी साबित है कि नामान्तरण संख 222 दिनांक 07.11.2007 में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का अंकन हो चुका था तथा इंतकाल संख्या 235 दिनांक 03.04.2009 से व नामान्तरण संया 254 दिनांक 26.12.2011 से यह बखूबी साबित है कि अपीलाण्ट संख्या 2 ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना के बाद ऋण सुविधा ली है तथा उसके बाद में वापिस भी अदाकर रहन मुक्त कराया है, जो अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हैं। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज किये जाने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खाजिर की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 24.07.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

24/7/23

(करतार सिंह पूनिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी,

हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)